

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(35)राज/वाद/19पार्ट-।

जयपुर, दिनांक 04-04-23

:: आदेश ::

निम्नांकित अभियोजकगण की उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं04 में वर्णितानुसार सेवा अवधि में एतद्वारा वृद्धि की जाती है:-

| क्र.सं. | नाम अभियोजक | पद नाम | सेवा वृद्धि |
|---------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री गोविन्द लाल चतुर्वेदी | लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, करौली | दिनांक 01.01.23 से 31.12.23 तक |
| 2 | श्रीमती नवप्रीत कौर | विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, श्रीगंगानगर | दिनांक 01.01.23 से 31.12.23 तक |
| 3 | श्री जेठाराम माली | विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, जैसलमेर | दिनांक 01.08.22 से 31.07.23 तक |

आज्ञा से

६०

(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

६०
(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण